यूपी में निजी औद्योगिक पार्क बनाना सरल

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाना अब और भी आसान हो गया है। सड़कों की चौड़ाई का मानक कम कर दिया गया है। अब सात मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे भी निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा सकेगी।

अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक़ सात मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे बनने वाले निजी औद्योगिक पार्कों में ग्रीन व आरेंज श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों की ही स्थापना की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 12 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे बनने वाले निजी औद्योगिक पार्कों में हर श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां स्थापित की जा सकेंगी। अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों का नक्शा विकास प्राधिकरण द्वारा पास किया जाएगा। संबंधित जिलाधिकारी के मूल्यांकन के बाद औद्योगिक पार्क को एक इकाई मानकर स्टांप शुल्क लिया जाएगा। विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों से 25 प्रतिशत विकास शुल्क वसूला जाएगा। अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा।

- औद्योगिक विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना
- अब सात मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे बनेंगे औद्योगिक पार्क
- अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा

मोबाइल ऐप से देख सकेंगे अपने खेत व घर

लखनऊ। नागरिकों को जल्द ही मोबाइल के माध्यम से अपना खेत व घर देखने की सुविधा मिलेगी। राजस्व परिषद ने मोबाइल एप्लीकेशन (ऐप) तैयार किया है। जनवरी से पहले इसे लांच करने की तैयारी की जा रही है। परिषद द्वारा सेटेलाइट की मदद से घरों व खेतों के नक्शे तैयार कराए जा रहे हैं। नक्शों का काम पूरा होने के बाद मोबाइल ऐप पर गाटा संख्या, खतौनी व खसरा संख्या डालकर लोग आसानी के साथ अपने खेत, घर, गांव व मोहल्ले की सटीक तस्वीर देख सकेंगे।